राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 711/2014/बीकानेर
मैसर्स तुलसानी फूड इण्डस्ट्रीज
बीकानेर अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर
2.वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–ए,बीकानेर प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री नारायण दास तुलसानी
हिस्सेदार अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 15.05.2014

निर्णय

यह अपीलं अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर,बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा न.4(178)कर/34/उपा–बी/13–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.04.2014 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहरी ने आलोच्य अवधि 2010–11 में सी फार्म के समर्थन से रू. 3,21,000/–की Confectionery की अन्तर्राज्जीय बिक्री 2 प्रतिशत की दर से की जानी दर्शायी है, जबकि व्यवहारी द्वारा उत्पादित उक्त Confectionery माल का ट्रेड मार्क एक्ट,1999 के तहत पंजीयन कर रखा है। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक की बिक्री के सी फार्म के अभाव में ब्राण्डेड कन्फैकशनरी को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। दिनांक 24.03.2014 को दिनांक 25.03.2013 के लिए जारी नोटिस का जवाब व्यवहारी की ओर से 17.03.2013 को कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब पर विचार करने के पश्चात व्यवहारी की अनुपस्थिति में कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2013 को पारित कर मांग सृजित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त कर निर्धारण आदेश से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये कथन के आधार पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

10.04.2014 पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2014 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.3.2013 पारित कर रू. 17,19,890/— मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारियों के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवरिह को वर्ष 2019—11 के कर निर्धारण पारित करने हेतु कई नोटिस जारी किये हैं, किन्तु नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ,ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से पत्र कमांक 1629 दिनांक 03.02.2014,पत्र कमांक 1666दिनांक 5.2.2013, पत्र कमांक 2310 दिनांक 25.02.2013, पत्र कमांक 2531 दिनांक 13.03. 2013 एवं पत्र कमांक 2608 दिनांक 17.03.2013 के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को निवेदन किया गया है कि उक्त नोटिस के जवाब देने के के लिए उसे प्रमाणित छाया प्रतियॉ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें ताकि नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जा सके, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त पत्रों में अंकित दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ अपीलार्थी व्यवहारी को उपलब्ध कराया जाना ज्ञात नहीं होता है। इस तथ्य की ओर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने ना तो ध्यान दिया और ना ही इसका अपने

अपीलाधीन आदेश वर्णन किया, उन्होंने मात्र यह लिखते हुए उसकी अपील अस्वीकार की है कि "व्यवहारी को सम्मन दिनांक 25.03.2013 के लिए जारी किया गया था, लेकिन नियत तिथि को व्यवहारी फर्म की ओर से काई उपस्थित नहीं हुआ।" जबकि पत्र क्रमांक 2608 दिनांक 17.03.2013 को उसके द्वारा अर्जेन्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है,जिसमें निवेदन किया गया है कि **"अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी प्रमाणित छाया प्रतियॉ समयावधि में उपलब्ध करवाने की कृपा करें जिससे नोटिस जारी का जवाब समय पर प्रस्तुत किया जा सके। प्रमाणित छाया प्रतियों के अभाव में नोटिस का जवाब दावा समय पर प्रस्तुत नहीं करने का समस्त वैधानिक दायित्व आपका होगा।"**

अपीलीर्थी व्यवहारी के उक्त निवेदन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसके चाही दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध नही कराई गई है,जिससे कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारियों की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी चाहे गये दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध करवाकर, उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात दो माह में पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की तामीली के पश्चात साठ दिवस के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2014 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य